न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—31/2019/225 (2019/00031)

1. मदनलाल पुत्र रामपाल,
2. सुरेश कुमार पुत्र रामपाल,
   समस्त जाति कुर्मी, नि0 कादेड़ा, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. माया बेवा बजरंग,
2. महावीर पुत्र बजरंग,
   समस्त जाति कुर्मी, नि0 कादेड़ा, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी, दिनांक 28.5.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 23/2016.

उपस्थितः—

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री राकेश अरोड़ा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 3.

निर्णय

दिनांकः— 31.12.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 28.5.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—क राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 2295 रकबा 0.17 है0 ग्राम कादेड़ा, तह0 केकड़ी में स्थित है जिसका प्रार्थी खातेदार है । उक्त भूमि पर आने—जाने का रास्ता खसरा नंबर 2296 रकबा 0.34 है0 में आता जाता रहा है जो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी आराजी है जिससे आवागमन में आये दिन विवाद उत्पन्न होते है । इस कारण प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु 30 फुट का रास्ता दिलाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 28.5.2018 द्वारा प्रार्थीगण/अपीलांटस का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0

के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. पर विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष पत्रावली दिनांक 15.6.2016 से 14.3.2018 तक जवाब में थी इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने पत्रावली को लोक अदालत कैम्प में नियत कर प्रार्थना पत्र को बिना समझे खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस ने उपस्थित होकर राजीनामा से इंकार किया तब प्रार्थी को उपस्थिति के हस्ताक्षर कर भिजवा दिया गया तत्पश्चात् उक्त दिनांक 28.5.2018 को ही गलत रूप से निर्णय पारित कर दिया गया है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि पूर्व कैम्प दिनांक 7.6.2016 को पटवारी हल्का के द्वारा कैम्प में बिना मौका निरीक्षण किये अपना जवाब प्रस्तुत होना अंकित किया है तथा उक्त जवाब में ही नीचे रिपोर्ट पेश करना अंकित किया है जो अपने आप में विरोधाभासी है क्योंकि पटवारी ने जवाब इस प्रकार पेश किया है जैसे कि वह मुख्य पक्षकार हो जबकि मौके के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिये थी । राज0काश्त0अधि0 की धारा 251–क के प्रावधानों एवं नियमों के तहत तहसीलदार अथवा आई0एल0आर0 से नीचे तबके के अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने पटवारी हल्का के जवाब को रिपोर्ट मानकर अपीलाधीन आदेश से प्रार्थना पत्र को खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण/अपीलांटस की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 2229 एवं 2295 है तथा खसरा नंबर 2299 के पश्चात् खातेदारी खसरा नंबर 2295 में आने के लिये अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 2296 में से होकर बरसों से रास्ता चला आ रहा है इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है । अप्रार्थीगण ने अपने जवाब के पैरा संख्या 5 में माना है कि खसरा नंबर 2296 व 2294 मूं से 5–5 फीट रास्ता दे दिया जावे जबकि प्रार्थीगण का कभी भी खसरा नंबर 2294 में से आवागमन नहीं रहा है बल्कि बरसों से खसरा नंबर 2299 जो प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है के पश्चात् खसरा नंबर 2296 में से होकर 2295 में आते जाते रहे है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को बिना सुने प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 2 ने लोक अदालत दिनांक 28.5.2015 को राजीनामा हेतु इंकार किया तथा उक्त संदर्भ में प्रार्थना पत्र पेश करना चाहा तो प्रार्थना पत्र की आवश्यकता नहीं होना कहकर उपस्थिति के हस्ताक्षर कर को भेज दिया गया था तत्पश्चात् प्रार्थी की बहस अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र दिनांक 28.5.2015 को खारिज कर दिया गया जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को नहीं थी और न ही अभिभाषक को उक्त बाबत् कोई सूचना दी गई । दिनांक 11.1.2019 को केकड़ी थाने से पुलिस कांस्टेबल द्वारा आकर यह बताया गया कि अप्रार्थीगण की आराजी में आवागमन नहीं करे क्योंकि प्रार्थना पत्र खारिज

हो चुका है । तत्पश्चात् अपीलांटस ने अधिवक्ता से संपर्क कर अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन पेश कर प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः अपील अपीलांटस अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । अपीलांटस की आराजी खसरा नंबर 2295 में आवागमन का रास्ता रेस्पो0 की आराजी खसरा नंबर 2296 में से न होकर कदीमी समय से खसरा नंबर 2294 में से होकर आता जाता रहा है । अपीलांटस ने रेस्पो0 की आराजी हड़पने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है । बहस में आगे कथन किया कि पटवारी/तहसीलदार, केकड़ी की रिपोर्ट के अनुसार भी प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नंबर 2295 का रास्ता आराजी खसरा नंबर 2299 से होकर पड़ोसी खेत खसरा नंबर 2294 के सहारे होकर आता जाता है जो नजदीकी रास्ता है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांटस का मुख्य कथन रहा है कि अधी0न्याया0 ने अपीलांटस की पीठ पीछे अपीलाधीन आदेश पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया है जबकि धारा 251–क राज0काश्त0अधि0 के तहत तहसीलदार अथवा आई0एल0आर0 स्तर से निम्न स्तर के अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर धारा 251–क के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया जा सकता है । इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरांत अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र को दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने के आदेश पारित किये । इसके उपरांत अप्रार्थीगण के अधी0न्याया0 में उपस्थित होने पर पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थीगण चलती रही किन्तु अधी0न्याया0 ने प्रकरण को लोक अदालत कैम्प कोर्ट में दिनांक 28.5.2018 को नियत कर पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 7.6.2016 के आधार पर अपीलांटस के प्रार्थना पत्र को खारिज करने के आदेश पारित किये है । धारा 251–क राज0काश्त0अधि0 1955 में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान दिये हुए है कि रास्ते के संबंध में तहसीलदार अथवा आई0एल0आर0 से रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट प्राप्त कर रास्ते बाबत् आदेश पारित करने चाहिये थे किन्तु हस्तगत प्रकरण में अधी0न्याया0 ने तहसीलदार से रास्ते के संबंध में कोई मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं की है बल्कि अधी0न्याया0 ने पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 7.6.2016 को मौका रिपोर्ट मानकर अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांटस का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.5.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषत किया जाता है कि अपीलांटस की आराजी में आवागमन के संबंध में तहसीलदार स्वंय द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए धारा 251–क राज0काश्त0अधि0 1955 के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना पत्र को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 31.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर